<u>न्यायालयः—विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, हरसूद, जिला,खण्डवा म0प्र0</u>

नियमित जमानत आवेदन क्र0 BA/98/2022
अपराध क्र0 351/2022
थाना हरसूद जिला खण्डवा

1. हरिओम पिता श्यामसिंह, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम कसरावद तहसील हरसूद जिला खंडवा (म0प्र0)

...................आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केंद्र, हरसूद जिला खण्डवा (म0प्र0)

...................अनावेदक/अभियोजन

(सत्यप्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांक 18.10.2022)

18.10.2022 आवेदक/अभियुक्त हरिओम की ओर से श्री महेन्द्र पगारे अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री मनीष बरोले अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण मूल अभिलेख प्राप्ती एवं आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.पं.सं. पर जवाब/तर्क हेतु नियत है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. पर उभयपक्ष को श्रवण किया गया। उभयपक्ष के तर्क के प्रकाश में अभिलेख का अवलोकन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त हरिओम की ओर से प्रकट किया गया कि धारा 439 दं.प्र.सं. के तहत उसका यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, तद्संबंध में आवेदक/अभियुक्त की ओर से पदमसिंह पिता श्रीकिशन मीणा उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम कसरावद तहसील हरसूद जिला खंडवा का शपथपत्र प्रस्तुत किया है, जिससे यह आवेदन आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन पत्र होना प्रतीत होता है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रकट किया गया है कि उसके विरूद्ध आरक्षी केन्द्र हरसूद द्वारा दिनांक 02.09.2022 को अपराध कमांक 351/2022 अंतर्गत धारा 458, 376 (डी) भा.द.वि में गिरफ्तार कर न्यायिक दंडाधिकारी हरसूद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जहां से आरोपी को जिला जेल खंडवा भेज दिया गया है तब से आरोपी न्यायिक निरोध में है। अभियुक्त ने उपरोक्त वर्णित धाराओं के स्वरूप का कोई अपराध नहीं किया है, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रकरण मे अनुसंधान पूर्ण

होकर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका हैं । आरोपी/आवेदक मजदूर पेशा व्यक्ति होकर अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला सदस्य है। आरोपी ग्राम कसरावद तहसील हरसूद का स्थायी निवासी है जहां उसकी चल अचल संपत्ति है उसके प्रकरण के विचारण की अवधि में कहीं भाग जाने की संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है।

तर्क के दौरान प्रकट किया कि पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट में उस पर कोई क्षतियां नही पाई गई जबकि अपने बयान में आरोपी द्वारा उठापटक करने और झूमा झटकी करने की बात बताई है। पीड़िता 70 वर्षीय वृद्धा है और आरोपी नवयुवक है। पारिवारिक रंजिश के चलते उसे केवल झूठा फंसाया है। अतः जमानत पर मुक्त किया जावे।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जवाब में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पंजीबद्ध अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत दिये जाने पर अभियुक्त साक्षियों को डरायेगा–धमकायेगा तथा अभियुक्त के फरार होने की संभावना है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार फरियादी जमनाबाई ने आरक्षी केंद्र हरसूद में दिनांक 31.08.2022 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि वह उसकी लड़की बसुबाई के सासथ रहती है और घरेलू काम करती है। घटना दिनांक को वह घर पर अकेली थी उसकी बेटी और जवाई दोनों हरसूद गये थे। रात करीबन 2.30–3.30 बजे के बीच उसके घर का दरवाजा ठोकने की आवाज आई थी पर उसने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बार ही उसके कमरे की खिड़की खुलने की आवाज आई जिससे उसकी नींद खुल गई और वह उठकर खटिया पर बैठ गई। फरियादी ने चिमनी के उजाले में देखा तो उसे गांव के ही दो लड़के खिड़की से उसके कमरे के अंदर आ गये व उनमें से एक लडका बबलू उसके साथ झूमा झटकी करने लगा व उसे खटिया से नीचे पटक दिया और उसके साथ गलत काम किया तथा दूसरा लड़का हरिओम वहां घूम रहा था। फरियादी द्वारा घ टना की सूचना थाना हरसूद में दी गई। उक्त सूचना पर थाना हरसूद में अपराध कमांक 351/22 अंतर्गत धारा 458, 376डी भा. दं.वि. पंजीबद्ध किया गया ।

इस प्रक्रम पर अनुसंधान के दौरान एकत्र की गई साक्ष्य सामग्री की कठोर संवीक्षा अपेक्षित नहीं है। तथापि आरोपीगणों पर सामान्य आशय के अग्रसरण में पीडिता के साथ बलात्संग कारित किये जाने का अभियोग है। निसंदेह मामले में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। आरोपी/आवेदक लगभग डेढ माह से अभिरक्षाधीन है। आवेदक/आरोपी हरसूद क्षेत्र का स्थायी निवासी और प्रथम अपराधी दर्शित होता है। अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री

के आधार पर आवेदक की ओर से रखे तर्क सारहीन दर्शित नहीं होते। तथा कारित कृत्य में आवेदक की बताई गई भूमिका व उक्त संपूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/आरोपी को मामले के गुण अवगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत होता है।

अतः इस न्यायालय के मत में आरोपी को जमानत पर रिहा किये जाने के लिये उपरोक्त परिस्थितियां विद्यमान है। अतः उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 **स्वीकार** कर आदेशित किया जाता है। प्रत्येक आवेदक/अभियुक्त व्दारा 50,000/—रुपये की सक्षम प्रतिभूति एवं व्यक्तिगत बंधपत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे :—

1. आवेदक/अभियुक्त प्रकरण के विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होगा जब तक कि कोई आपवादिक परिस्थिति ना हो जिसके अधीन उसे व्यक्ति हाजरी से अभिमुक्ति ना दी गई हो।

2. आवेदक/अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय में या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट ना करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नही बिगाडगा ।

3. आवेदक/अभियुक्त उस पर जैसा आरोप है ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

आदेश की सत्यप्रतिलिपि सहित संबधित न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे।

जमानत प्रकरण का परिणाम विधिवत सी.आई.एस. पंजी में दर्ज कर आदेश को अपलोड किया जाकर, आदेश पत्रिका मय प्रपत्र तहसील न्यायालय हरसूद के अभिलेखागार में संचित किया जावे।

Sd/-

ASHISH DAWANDE

Digitally signed by ASHISH DAWANDE
Date: 2022.10.18 17:31:54 +0530

(आशीष दवंड़े)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
हरसूद,जिला खंडवा

1.